

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन (उज्जैन-आलोट केम्प) कार्य हेतु
प्रथम ई-निविदा

क्रमांक / उ.दु.सं. / क्षे.सं. / परिवहन ई-निविदा / 2026 / 1234 / 26.05.2026

ई-निविदा ऑनलाईन वेब साईड <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।
निविदा संबंधि विस्तृत शर्ते एवं अन्य जानकारी हेतु www.sanchidairy.com पर लॉगआन करें।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़ उज्जैन – 456010 (म.प्र.)

E-mail : fo.uds@sanchidairy.com

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

मकसी रोड़ उज्जैन 456010 (म.प्र.)

E-mail : fo.uds@sanchidairy.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / क्षे.सं. / ई-निविदा / 2026 / 1234 / 26.05.2026

सुदाना पशु आहार एवं अन्य सामग्री परिवहन (उज्जैन-आलोट केम्प) हेतु प्रथम ई-निविदा सूचना

1.	निविदा कार्य- सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन कार्य वर्ष 2026-29 बाबत	
2.	ई-निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य	राशि रु. 500/- (अक्षरी रु. पाँच सौ मात्र)
3.	अमानत राशि	राशि रु. 10000.00 अक्षरी रु. (दस हजार रु.) ऑनलाईन द्वारा भुगतान करना है।
4.	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ दिनांक एवं समय	दिनांक 28.05.2026 प्रातः 11:00 बजे से
5.	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 17.06.2026 दोपहर 12:30 बजे तक
7.	तकनीकी बीड ऑनलाईन रूप से खोलने की दिनांक एवं समय	दिनांक 18.06.2026 दोपहर: 1:30 बजे
8.	निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मकसी रोड़ उज्जैन- 456010(म.प्र.)

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र हेतु निम्न जानकारी/दस्तावेज।

<u>ANNEXURE I</u>	:	निविदा नियम एवं शर्तें
<u>ANNEXURE II</u>	:	अनुबंध पत्र प्रारूप।
<u>ANNEXURE III</u>	:	फार्म - A
<u>ANNEXURE IV</u>	:	भाव पत्र - B

नोट :-1. ई- निविदा ऑनलाईन वेब साईड <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

2. निविदा संबंधि विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी हेतु www.sanchidairy.com पर लॉगआन करें।

3. जिन वाहन स्वामी के पास वाहन मॉडल 2022 या बाद के है वे वाहन स्वामी निविदा में भाग ले सकते हैं, साथ ही वाहन ठेकेदारों के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं होने से वाहन क्रय करने का नोटरी से 100 रु. के मूल शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करें।

4. समस्त निविदाएँ या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन या शुद्धि किये जाने पर वेबसाईट में ही परिवर्तन किया जायेगा अन्य किसी माध्यम में नहीं, अतः नियमित रूप से एमपीसीडीएफ की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर देखें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

:: उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित मक्सी रोड़ उज्जैन ::
सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन प्रस्तुत करने हेतु नियम व शर्तें ::

- (अ) सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन ई-निविदा के साथ ई.एम.डी. राशि **रूपये 10000.00 (दस हजार रूपये)** ऑनलाईन भुगतान करें। जमा ई.एम.डी. राशि रु. 10,000.00 की ऑनलाईन की छायाप्रति निविदा भरते समय अपलोड किया जाना अनिवार्य है। बिना अर्नेस्टमनी जमा के निविदा को निरस्त (अमान्य) माना जावेगा।
- (ब) निविदाकार को निर्धारित प्राईज बिड में ऑनलाईन दर प्रस्तुत करना होगी।
- (स) निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रपत्र रु. 500.00 (पांच सौ) ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
1. निविदा अस्वीकृत होने पर ई.एम.डी की राशि छह: माह में वापस लौटा दी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
 2. निविदा में उल्लेखित दर में, टोल टेक्स एवं समस्त कर सहित सम्मिलित किये जावेंगे, निविदा की दर स्पष्ट शब्दों एवं अंको में लिखी जावे। किसी शर्त वाली निविदा को मान्य नहीं किया जावेगा।
 3. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर वह फर्म भागीदारी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये, इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। फर्म के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होंगे, यदि किसी एक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, तो निविदा के साथ मुख्यारनामा की फोटो कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।
 4. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित दिन एवं समय पर अनुबंध को **रु. 1000.00 (रूपये एक हजार मात्र)** के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर एवं वाटर मार्क पेपर पर टाईप करवाकर, नोटरी करवाकर अनुबंध पर स्वयं के फोटो सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रेषित नहीं किया जाता है, तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी, तथा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी। अनुबंधकर्ता को निर्धारित दिन एवं समय पर प्रतिभूति राशि जो निर्धारित है, आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से जमा करना होगी। निर्धारित समयावधि में पूर्ण प्रतिभूति राशि जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी, साथ ही संपूर्ण अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।
 5. अमानत राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है ।
(अ) वाहन क्षमता 5 टन राशि रु. रूपये 1,25,000.00
 6. ई.एम.डी. एवं अमानत राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
 7. अनुबंधकर्ता को प्रत्येक माह प्रति 15 दिवस का परिवहन देयक (दिनांक 01 से दिनांक 15 एवं दिनांक 16 से दिनांक 31 तक) दुग्ध समितियों को प्रदाय पशुआहार एवं अन्य सामग्री की प्राप्ति सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षर सील सहित तथा मार्ग पर्यवेक्षक प्रभारी प्रबंधक (क्षे.सं.) को प्रस्तुत करना होगी। निर्धारित प्रारूप पर देयक बनाकर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ठेकेदार के नाम एवं पते की सील तथा पेन नं. होना आवश्यक होगा। परिवहन देयकों के भुगतान हेतु दिनांक 1 से दिनांक 15 तक का देयक द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ/संयंत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान संभवतः आगामी माह की दिनांक 15 तक किया जावेगा, उसी प्रकार दिनांक 16 से दिनांक 31 तक का देयक आगामी माह की दिनांक 3 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान संभवतः आगामी

माह की दिनांक 30/31 तक किया जावेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा परिवहन देयक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो भुगतान संबंधित समस्या हेतु द्वितीय पक्ष स्वतः जिम्मेदार होगा एवं देयक विलंबित के फलस्वरूप उत्पन्न आयकर अथवा अन्य किसी भी वैधानिक दायित्व की क्षतिपूर्ति प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के देयकों से शास्ति एवं ब्याज सहित कटौती कर की जावेगी।

8. सुदाना पशुआहार परिवहनकर्ता को कम से कम प्रत्येक कार्य दिवस 100 से 125 (वाहन क्षमता अनुसार) बेग पशुआहार मांग अनुसार परिवहन कार्य करना होगा।
9. अनुबंध की अवधि तीन वर्ष की होगी तथापि कार्य संतोषजनक पाये जाने के बाद आगामी एक-एक वर्ष (अधिकतम 02 वर्ष) की वृद्धि की जा सकेगी।
10. निम्न परिस्थितियों में अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।
 - (अ) सुदाना पशुआहार परिवहनकर्ता द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देश एवं अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर।
 - (ब) सुदाना पशुआहार परिवहनकर्ता को अनुबंध अवधि में पशु आहार परिवहन कार्य संतोषप्रद न पाये जाने पर।
11. परिवहनकर्ता को अनुबंध में नामिनी घोषित करना होगा, वितरक की मृत्यु की स्थिति में नामिनी संघ की शर्तों को मान्य करने की स्थिति में पशुआहार परिवहन कार्य अनुबंध अवधि तक संचालित किया जा सकता है।
12. परिवहनकर्ता को कार्यादेश प्राप्त होने के पूर्व रुपये 1000/- के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर में निर्धारित अनुबंध तथा प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।
13. निविदा स्पष्ट/पूर्ण भरी होना चाहिए। अस्पष्ट, कटी-फटी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा।
14. निविदाकार को अनुबंधित वाहन का ही उपयोग हेतु ही निविदा प्रस्तुत करना होगी, निविदा के साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी तथा स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) संलग्न करना होगी तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल पंजीयक प्रमाण-पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने होंगे।
15. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को अपना वाहन निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर लाना होगा।
16. निविदा प्रस्तुतकर्ता यदि जानबूझकर निविदा प्रपत्र में गलत जानकारी देता है, तो संघ को यह अधिकार होगा कि जमा ई.एम.डी. राशि जप्त कर लें। उज्जैन दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों के सगे संबंधी जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, सगे भाई, बहन अथवा निकट के रिश्तेदारों को निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी। वाहन ठेकेदार को इस बाबत पृथक से शपथ पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना होगा।

17. अनुबंधित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल/सीएनजी का ही प्रयोग किया जावेगा। ईंधन के रूप में अन्य कोई ईंधन जैसे केरोसिन मिलावटी डीजल वर्जित माना जावेगा।
18. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
19. वर्ष 2022 या उसके बाद के वाहन की निविदा ही स्वीकार की जावेगी।
20. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर अनुबंधकर्ता द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई इसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा जोखा वाहन ठेकेदार को ही रखना होगा।
21. वाहन ठेकेदार को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताएँ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने तथा संघ हित एवं राष्ट्र हितों को नुकसान पहुँचाने के इरादे से किया गया कार्य बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। वाहन ठेकेदार द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस इकरार नामा को निरस्त कर दे एवं अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी। जिस हेतु वह सहमत होगा।
22. वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में संघ उत्पादों का विज्ञापन अनुबंधित वाहन पर लिखवाना होगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर निर्धारित अवधि में विज्ञापन नहीं लिखवाया जाता है तो संघ द्वारा विज्ञापन लिखवाया जावेगा, एवं उसका समस्त व्यय वाहन ठेकेदार से काटा जावेगा।
23. सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन के अनुबंधित वाहन पर पीछे हुड पर अनुबंध अवधि में त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये। अन्यथा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप आर्थिक दण्ड किया जावेगा एवं इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौत्रा भी किया जावेगा।
24. आयकर विभाग से यदि स्थाई लेखा संख्या नम्बर है तो संघ को प्रस्तुत करना होगा। स्थायी लेखा संख्या नं. (पेन नं.) प्रस्तुत न करने पर आयकर अधिनियम अनुसार टैक्स का कटौत्रा किया जावेगा।
25. जिन वाहन/वाहन ठेकेदारों को काली सूची में दर्ज किया गया है, वह ई-निविदा में अपात्र होंगे।

26. यदि कोई वाहन ठेकेदार जिसके पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं हो एवं वह निविदा स्वीकृति उपरांत निर्धारित अवधि में नया वाहन उपलब्ध करा सकता है तो इस बाबत 200.00 रु. का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निविदा भर सकता है। निर्धारित अवधि में वाहन उपलब्ध न कराने पर आपकी जमा अर्नेस्टमनी राजसात की जावेगी।
27. निविदाकार द्वारा यदि अत्यधिक कम या अधिक (अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की स्थिति में) दरें दी गई हैं तो वह मान्य नहीं होगी तथा निविदा निरस्त की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
28. यदि पूर्व में किसी वाहन ठेकेदार को प्रतिबंधित (ब्लेक लिस्टेड) किया गया है, तो वह निविदा नहीं भर सकता यदि उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार नहीं किया जावेगा, एवं जमा अर्नेस्टमनी राजसात की जा सकेगी।
29. वाहन के कि.मी. का सत्यापन लेटीट्यूट लांजीट्यूट के आधार पर ही मान्य किया जावेगा।
30. म.प्र राज्य की 3.5 MSME इकाइयों को निविदा में EMD जमा करने पर नियमानुसार छूट दी जाएगी। नई एसपीआर दिनांक 21.10.2020 खंड संख्या 10.01 के अनुसार।
31. किसी भी स्थिति में न्यायालयीन कार्यक्षेत्र उज्जैन रहेगा।

दुग्ध संघ सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन निविदाकार के मध्य पशुआहार परिवहन हेतु किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप

अनुबंधकर्ता
का फोटो

1000/—रु. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।

/// अनुबंध पत्र ///

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को निष्पादित किया गया, जिसका द्वितीय पक्ष (निविदाकार)श्री/श्रीमती निवासी एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती से है एवं प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी है।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा उज्जैन-आलोट केम्प के कार्यक्षेत्र में सुदाना पशुआहार सहकारी समितियों के संग्रहस्थल तक सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन करने वास्ते द्वितीय पक्षकार वाहन का पंजीयन क्रमांकमॉडल..... ने प्रथम पक्षकार (उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन) को निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवेदन किया है और प्रथम पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर द्वितीय पक्षकार का आवेदन परिवहन (समस्त कर एवं टोल टेक्स सहित) दर राशि रूपये ----- अक्षरी रूपये ----- प्रति कि.मी. अग्रलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्तें उभय पक्षों को मान्य होगी। उज्जैन-आलोट कार्यक्षेत्र अंतर्गत भविष्य में यदि नवीन टोल टेक्स प्रारंभ होता है, तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ति पर संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा।

01. (अ) यह ठेका अवधि दिनांक से दिनांक (तीन वर्ष) तक प्रभावशील रहेगी।
(ब) अनुबंध अवधि में कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति होने पर एक-एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
(स) अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात 03 माह ओर बढ़ाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
02. इन शर्तों को सुदाना पशुआहार परिवहन ठेके की शर्तें कहा जावेगा। शर्तों में जहाँ-जहाँ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन माना जावेगा।
03. प्रथम पक्ष द्वारा संस्था को दिये जाने वाले सभी सामान जैसे पशुआहार, घी, मिनरल मिक्सचर, कॉफ स्टार्टर, चारा बीज, घी टीन/पेकेट, संस्थाओं को लगाने वाला मिल्कोटेस्टर, टेस्टिंग सामान एवं स्टेशनरी आदि सामान समितियों को भेजा जाता है, इसका लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं सामान निर्धारित समय में समिति तक पहुंचाना होगा। वाहन ठेकेदार को संबंधित समिति को

सामान पहुंचाकर प्राप्ति रसीद तीन दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा इसकी राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी एवं काटी गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी, तथा लगातार तीन बार शिकायते रहती है, तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

04. निर्धारित समय में संस्थाओं को सुदाना पशुआहार परिवहन कार्य करने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरी समान क्षमता एवं निर्धारित मॉडल के वाहन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करना होगी, किसी भी दशा में दुग्ध समिति/गन्तव्य स्थान पर वाहन के समय पर नहीं पहुँचने की स्थिति में सुदाना पशुआहार/अन्य समान खराब होने पर जो हानि होगी द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी। अनुबंधित वाहन खराब या दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा वर्ष में अधिकतम 02 माह हेतु वैकल्पिक समान भार क्षमता का वाहन सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी, यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया जाता है, तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
05. द्वितीय पक्ष द्वारा सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन करते समय किसी भी प्रकार की आपत्तीजनक सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि ऐसा पाया जाता है, तो आर्थिक दण्ड राशि रु. 2000.00 का कटौती देयक से किया जावेगा, साथ ही यदि इस कारण पशुआहार/अन्य समान खराब हुआ तो हानि राशि भी द्वितीय पक्ष से काटी जावेगी।
06. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्या कृत्य जिनके लिये स्वयं द्वितीय पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार हों, को छोड़कर) जो द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले पशुआहार/अन्य समान की हानि पर समस्त राशि का कटौती द्वितीय पक्षकार से किया जावेगा।
07. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा पशुआहार एवं अन्य समान की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति से वसूल की जा सकेगी।
08. वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः द्वितीय पक्ष का रहेगा यदि डीजल एवं सीएनजी के अभाव में पशुआहार परिवहन नहीं किया जाता या वाहन देरी से भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करते हुए ईंधन के रूप में डीजल/सीएनजी का ही प्रयोग किया जावेगा। ईंधन के रूप में अन्य कोई ईंधन जैसे केरोसिन मिलावटी डीजल से वाहन चलाया जाता है, एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल/सीएनजी के स्थान पर केरोसिन, मिलावटी डीजल पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है, तो वाहन ठेकेदार द्वारा पशुआहार परिवहन के लिये अन्य समान भार क्षमता के वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसुली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

09. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।
10. संघ से प्रदत्त पशुआहार एवं अन्य सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी वाहन में नहीं लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है, तो संघ जो दण्ड करेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा यह दण्ड अधिकतम उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नहीं होगा। यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार करने की नौबत आई, तो संघ को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बंद कर दें, तथा हानि की वसूली कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दें।
11. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा उनके कृत्या कृत्य के लिये प्रथम पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। द्वितीय पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा। उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इनके द्वारा लापरवाही/अनियमितता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में प्रथम पक्ष द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी, जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगी।
12. द्वितीय पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें तथा आगामी 2 वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दें।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरंतर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूल कर लें।
14. अनुबंध समाप्ति के पश्चात् प्रतिभूति राशि वापस प्राप्त करने के लिये दुग्ध समितियों द्वारा प्रदत्त बकाया नहीं के प्रमाण पत्र, जो कि मार्गपर्यवेक्षक/प्रभारी प्रबंधक (क्षे.सं.) से सत्यापित कर प्रस्तुत करने होंगे, प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, ऐसे समस्त वसूली योग्य राशि द्वितीय पक्ष के पशुआहार परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटौती कर ले यदि कटौती शेष रहता है, तो वसूली हेतु शासन के नियम अनुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावेगी एवं परिवहनकर्ता को कालीसूचीबद्ध भी किया जा सकेगा। कालीसूचीबद्ध किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के संबंधित कर्मचारियों को कालीसूचीबद्ध किया जा सकेगा।
15. सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन के अनुबंधित वाहन पर पीछे हुड़ पर अनुबंध अवधि में त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये, जिससे संघ द्वारा प्रदाय पशुआहार एवं अन्य सामग्री खराब न हो पशुआहार एवं अन्य सामग्री खराब होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की होगी।

16. यदि चैकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच करने पर पाया जाता है कि, वाहन कर्मचारी पशुआहार एवं अन्य सामग्री में गड़बड़ी, हेराफेरी, पशुआहार बेग में से पशुआहार या अन्य सामग्री निकालने पर राशि रु. 10000.00 का आर्थिक दण्ड किया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितताएँ करते पाए जाते हैं, मार्ग में पड़ने वाली सभी दुग्ध समितियों को अनुबंध अवधि में यदि पशुआहार या अन्य सामग्री में कमी आई है और इससे संस्थाओं को एवं संघ को जो हानि हुई है उसका देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा यह राशि द्वितीय पक्ष के देयक से वसूली योग्य रहेगी तथा द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार भी प्रथम पक्ष को होगा तथा आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
17. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार द्वितीय पक्ष होगा तथा नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
18. द्वितीय पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नहीं करेगा एवं न ही इसमें भाग लेगा यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिये द्वितीय पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लें।
19. डेरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे, डेरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे।
20. अनुबंधित वाहन से दुग्ध समिति स्तर या अन्य स्थान पर पशुआहार एवं अन्य सामग्री अनलोडिंग की व्यवस्था संस्था की रहेगी।
21. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घंटों में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।
22. अनुबंधित वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित रीति से ऐसी सूचनाएँ सुदाना पशुआहार, घी एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु नहीं हैं, सुदाना पशुआहार एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन लिखवाना होगा।
23. इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो द्वितीय पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल संपत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है, तो उसके लिये भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।

24. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
25. द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कुं. संबंधउम्र को पूर्ण होशोंहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कुं. को संघ से व्यवहार करने का अधिकारी रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष देगा।
26. द्वितीय पक्ष तथा प्रथम पक्ष के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
27. संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में द्वितीय पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री, सगे भाई बन्धु नहीं है यह तथ्य द्वितीय पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जाँच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें।
28. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाएँ जावेगे। वह हर समय वाहन के साथ रहेंगे, एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देंगे वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक ही रहेगा, कर्मचारी बदलने पर पुनः उनका परिचय पत्र एवं फोटो कार्यालय में देना होगा। वाहन चालक एवं सहायक का नियुक्ति आदेश प्रथम पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा। उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को तत्काल सूचित किया जावेगा।
29. स्थानीय, मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेगें, वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावेगें एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जावेगा एवं उसका प्रमाण पत्र प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या नम्बर द्वितीय पक्ष देगा।
30. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
31. परिवहन देयकों के भुगतान हेतु दिनांक 1 से दिनांक 15 तक का देयक द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ द्वारा पशुआहार अन्य सामग्री की प्राप्ति संलग्न कर संघ/संयंत्र जिसका भुगतान संभवतः आगामी माह की दिनांक 15 तक किया जावेगा, उसी प्रकार दिनांक 16 से दिनांक 31 तक का देयक आगामी माह की दिनांक 3 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान संभवतः आगामी माह की दिनांक 30/31 तक किया जावेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा परिवहन देयक निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो भुगतान संबंधित समस्या हेतु द्वितीय पक्ष स्वतः जिम्मेदार होगा एवं देयक विलंबित के फलस्वरूप उत्पन्न आयकर अथवा अन्य किसी भी वैधानिक दायित्व की क्षतिपूर्ति प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के देयकों से शास्ति एवं ब्याज सहित कटौत कर की जावेगी।

32. संघ द्वारा दुग्ध समितियों से प्राप्ति एवं अन्य सामग्री भेजी जाती है तो उसकी प्राप्ति संघ कार्यालय में संबंधित शाखा में जमा करें, अन्यथा की स्थिति में सामग्री राशि के साथ पेनल्टी लगाई जावेगी जिसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
33. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त करने व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
34. संघ द्वारा प्रदाय हेतु पशुआहार की मांग द्वितीय पक्षकार को प्रतिदिन प्रातःकाल में दी जावेगी। वाहन व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था द्वितीय पक्षकार द्वारा उसी दिवस में गन्तव्य स्थान पर उसी दिवस में सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री पहुँचाना होगा अन्यथा की स्थिति में आर्थिक दण्ड किया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
35. स्वीकृत दर अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, भारत सरकार द्वारा डीजल/सीएनजी की दरों में प्रतिदिन दर तय किये जाते हैं अतः प्रत्येक माह की दिनांक 01 से 15 तक के प्रतिदिन की डीजल/सीएनजी दरों की औसत दर के आधार पर आगामी प्रत्येक माह की दिनांक 16 से 30/31 तक की औसत दर प्रभावशील रहेगी तथा दिनांक 16 से 30/31 के डीजल/सीएनजी की दरों की औसत के आधार पर आगामी माह की दिनांक 01 से 15 तक की डीजल/सीएनजी की औसत दरें प्रभावशील रहेगी। लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल/सीएनजी दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

क्रमांक	वाहन का प्रकार	औसत प्रति लीटर
01.	आयशर (डीजल) 5 टन भार क्षमता	08 कि.मी.
02.	आयशर (सीएनजी) 5 टन भार क्षमता	12 कि.मी.

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल/सीएनजी दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदनुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी प्रति कि.मी. से की जावेगी। डीजल/सीएनजी के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दर में वृद्धि नहीं की जावेगी।

36. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व द्वितीय पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष स्वयं को ही रखना होगा।
37. विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा, किन्तु वाहन ठेकेदार को मार्ग पर पशुआहार मांग अनुसार पशुआहार प्रदाय किया जाना होगा।

38. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अंदर स्थाई लेखा संख्या (पेन नंबर) स्वयं सत्यापित की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा की जावेगी
39. द्वितीय पक्ष (वाहन ठेकेदार) अनुबंध अवधि में अनुबंध हस्तांतरित नहीं कर सकेगा द्वितीय पक्ष अनुबंध अवधि के मध्य अनुबंध अन्य वाहन ठेकेदार को हस्तांतरित करता है, तो अनुबंध निरस्त की कार्यवाही की जाकर प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्ष (दुग्ध संघ) को होगा साथ ही यदि द्वितीय पक्ष (वाहन ठेकेदार) अनुबंध अवधि में अपना वाहन आगे नहीं संचालित करना चाहता है तो न्यूनतम तीन माह पूर्व सूचना प्रथम पक्ष (दुग्ध संघ) को देना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने के उपरांत या सूचना दिनांक से तीन माह की अवधि जो भी पहले हो उक्त दिनांक से प्रथम पक्ष (दुग्ध संघ) द्वारा वाहन बंद किया जा सकेगा।
40. द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो की अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो एवं निरंतर पशुआहार एवं अन्य सामग्री का परिवहन कार्य किया जा सके।
41. संघ से प्रदाय पशुआहार एवं अन्य सामग्री ले जाने पर यदि अनुबंधित वाहन से पशुआहार या अन्य सामग्री की चोरी या नुकसान आदि होता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्षकार से नुकसानी की भरपाई की जावेगी।
42. सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन वाहन को संघ कार्यक्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में बाहर भेजा जा सकता है। (उक्त मार्ग का टोल टेक्स अतिरिक्त दिया जावेगा)
43. प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिमाह लगभग 2500 कि.मी. द्वितीय पक्ष से वाहन संचालित करवाया जावेगा इस हेतु द्वितीय पक्ष प्रतिदिन पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन कार्य हेतु संघ के कर्मचारी अधिकारियों से निरंतर सम्पर्क करेगा।
44. द्वितीय पक्ष द्वारा पशुआहार परिवहन वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम (GPS System) स्वयं के व्यय से लगवाना अनिवार्य होगा एवं उसे चालू स्थिति में रखने की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। यदि जी.पी.एस. सिस्टम खराब होता है, तो उसे स्वयं के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवाकर चालू करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन 100/- की पेनल्टी लगाई जावेगी। लगातार जी.पी.एस. सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

45. विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र उज्जैन रहेगा।

में द्वितीय पक्षकार अनुबंधशर्तों का अवलोकन भलीभाँति एवं होशोंहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

(प्रथम पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ
मर्यादित, उज्जैन

(द्वितीय पक्ष)

हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता

नाम _____
पिता/पति का नाम _____
पता _____
दूरभाष क्रं. _____
मोबाईल नम्बर _____
स्थायी लेखा संख्या पेन _____

अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

01. हस्ताक्षर _____
नाम _____
पता _____
मो0 नं. _____
आई.डी. प्रूफ _____
आधार कार्ड _____

अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता

01. हस्ताक्षर _____
नाम _____
पता _____
मो0 नं. _____
आई.डी. प्रूफ _____
आधार कार्ड _____

02. हस्ताक्षर _____
नाम _____
पता _____
मो0 नं. _____
आई.डी. प्रूफ _____
आधार कार्ड _____

02. हस्ताक्षर _____
नाम _____
पता _____
मो0 नं. _____
आई.डी. प्रूफ _____
आधार कार्ड _____

नोट:- उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।

प्रभारी प्रबंधक (क्ष.सं.) उज्जैन

शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा)
काली सूची (ब्लेक लिस्टेड) शपथ पत्र (200.00 रु. के नॉनज्युडिशियल स्टॉम्प)
का प्रारूप

नाम :- _____
पिता :- _____
उम्र :- _____
धंधा :- _____
निवासी :- _____

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मध्य प्रदेश के किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था एवं अन्य दुग्ध संघों द्वारा मुझे ब्लेक लिस्टेड (काली सूची) नहीं किया गया है। जिसके संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत है।

दिनांक -
स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ-पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

दिनांक -
स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा)
नया वाहन निर्धारित क्षमता का क्रय हेतु शपथ पत्र (200.00 रू. के
नॉनज्युडिशियल स्टॉम्प) का प्रारूप

नाम :- _____
पिता :- _____
उम्र :- _____
धंधा :- _____
निवासी :- _____
आधार नं. :- _____
मोबाईल नं. :- _____

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन की निविदा जमा की गई है यदि संघ द्वारा मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आवेदन अनुसार निर्धारित क्षमता का वाहन 15 दिवस में उपलब्ध कराऊंगा। यदि मेरे द्वारा समय-सीमा में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मेरे द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी राजसात होती है तो उसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन ई-निविदा हेतु तकनीकी योग्यता

फार्म - A

(ANNEXURE-III)

(नोट :- निविदाकार इस प्रोफार्मा को पूर्ण भरकर स्केन कर तकनीकी बिड के रूप में अपलोड करेंगे)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
उज्जैन

निविदा
प्रस्तुतकर्ता
का फोटो

महोदय,

मैंने आपके कार्यालय की सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन हेतु प्रथम ई-निविदा क्रमांक 1234 दिनांक 26.05.2026 पढ़ ली है। तदनुसार यह ई-निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आवश्यक रूप से सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन अनुबंध करने को तैयार हूँ। **ईएमडी राशि रूपये 10,000.00 अक्षरी रु. (दस हजार)** ऑनलाईन जमा की है तथा उसकी मूल प्रति स्केन कर ई-निविदा के साथ अपलोड कर रहा हूँ। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराऊँगा।

वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

- 01-वाहन स्वामी का नाम पिता/पति का नाम
वारिस उम्र संबंध
- 02-वाहन का प्रकार.....वाहन क्रमांक.....मॉडलवर्ष.....पेन नं.....
- 03-वाहन का पंजीयन क्रमांक.....वाहन क्षमता
- 04-सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन संघ कार्यक्षेत्र तथा संघ कार्यक्षेत्र से बाहर परिवहन कार्य हेतु।
- 05-अवधि दिनांक से दिनांक तक तथा आपसी सहमति से एक-एक वर्ष कर अधिकतम 02 वर्ष अनुबंध अवधि बढ़ाने का संघ को अधिकार प्रदान करता हूँ।
- 06-यदि निविदाकार के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं है तो नया वाहन क्रय हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने संबंधित 200.00 रु. के स्टाम्प पर नोटरी से मूल शपथ-पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 07-क्रमांक 02, 03, 06, 07 एवं 08 से संबंधित वाहन के पंजीयन प्रपत्र की प्रतियां, पेन कार्ड, ऑनलाईन जमा अर्नेस्टमनी की रसीद निविदा प्रपत्र के साथ स्केन कर अपलोड करें।
- 08-मैं यह शपथपूर्वक घोषणा भी करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी दुग्ध संघ द्वारा/शासकीय संस्थाओं द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है।

नोट :- वर्ष 2022 या उसके बाद के वाहनों की निविदा ही स्वीकार की जावेगी।

मैं घोषित करता/करती हूँ कि, उपरोक्त अनुसार क्रमांक 01 से 08 तक सत्य है। मुझे संघ की सभी शर्तें एवं नियम मान्य हैं, अगर दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो संघ का अंतिम निर्णय मुझे मान्य होगा।
निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकार पूरा नाम _____
पता _____
पेन न. _____ मोबाइल नम्बर _____
आधार न. _____

हस्ताक्षर निविदा कमेटी सदस्य

01----- 02 ----- 03 ----- 04 ----- 05 ----- 06 -----

दर निविदा प्रपत्र
(केवल ऑनलाईन अपलोड हेतु)
फार्म – B

(ANNEXURE-IV)

निविदाकर्ता का नाम/फर्म का नाम

क्रं.	विवरण	वाहन भार क्षमता	मात्रा	दर रू. प्रति कि.मी. समस्त कर एवं टोल टेक्स सहित
01	सुदाना पशुआहार एवं अन्य सामग्री परिवहन	5 टन तक भार क्षमता का वाहन	01	

दिनांक –

हस्ताक्षर

नाम _____

मो.न. _____